सीएम परिवहन सेवा- पहले चरण में 5206 बसें चलेंगी

- पहले चरण के लिए 1164 मार्गों का चयन
- दो चरणों में शुरू होगी सेवा
- शीघ्र सेवा शुरू करने के सीएम के निर्देश

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 मई. प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के पहले चरण में कुल 1,164 मार्गों पर लगभग 5,206 बसों का संचालन अगले दो सालों में किया जाएगा. इन सभी बसों की सुचारू मॉनिटरिंग के लिए एक दक्ष एवं इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जा रहा है.

योजना के पहले चरण में इंदौर क्षेत्र के कुल 121 मार्गों में कुल 608 बसें, उज्जैन क्षेत्र के 120 मार्गों में 371 बसें, भोपाल क्षेत्र के 104 मार्गों में 398 बसें, जबलपुर क्षेत्र के 83 मार्गों पर 309 बसें, सागर क्षेत्र के 92 मार्गों में 344 बसें, ग्वालियर क्षेत्र के 65 मार्गों में 298 बसें तथा रीवा क्षेत्र के 35 मार्गों में 184 बसें चलाई जाएंगी. योजना के तहत चलाई जाने वाली सभी बसों का रंग एक जैसा होगा, ताकि एकरूपता बनी रहे.

यह जानकारी गुरुवार को मंत्रालय में प्रजेंटेशन के दौरान सचिव परिवहन विभाग मनीष सिंह ने दी. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शीघ्र ही ये सेवा शुरू करने के निर्देश दिए. इस पर सचिव परिवहन विभाग ने बताया कि योजना को धरातल पर लाने के लिए तेजी से प्रक्रियागत काम जारी है. यह योजना दो चरणों में चलाई जाएगी. इसके लिए प्रदेश में 7 क्षेत्र क्रमशः इंदौर, उज्जैन, भोपाल नर्मदापुरम सहित, जबलपुर, सागर, ग्वालियर चंबल सहित एवं रीवा शहडोल सहित स्थापित किए गए हैं. पहले चरण में चलाई जाने वाली बसों के लिए क्षेत्रीय मुख्यालयों से उपनगरीय क्षेत्रों तक विस्तारित मार्ग मंजूरी की विभागीय अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. अन्य क्षेत्रों के विस्तारित मार्गों की अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी.

मप्र. राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय का होगा गठन

बैठक में बताया गया कि हाल ही में मप्र में हुई सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की बैठक में कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा इन दोनों योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की पहल की बेहद सराहना की गई है. इसी कमेटी की अनुशंसा पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में अलग से मप्र. राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय का गठन भी किया जा रहा है. सचिव परिवहन ने बताया कि प्रदेश में ई-डिटेक्शन प्रणाली प्रारंभ करने की व्यवस्था की जा रही है. इस पर काम प्रगति पर है. इस प्रणाली से चिन्हित स्थानों पर लगे कैमरों द्वारा वाहनों की नंबर प्लेट अपने आप स्कैन हो जाएगी. स्कैन किए गए वाहन क्रमांक से दस्तावेज वाहन पोर्टल से स्वतः जांच होकर सीधे ऑनलाइन भेज दिया जाएगा.

परिवहन चौकियों को इंटीग्रेटेड करें

सीएम ने बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश की सीमा में अन्य राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों की जांच के लिए परिवहन चौकियों और टोल नाकों को और अधिक आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाया जाए. इसके लिए परिवहन चौकियों को शीघ्र ही इंटीग्रेटेड करने के प्रयास किए जाएं. प्रदेश में सर्वाधिक दुर्घटना क्षेत्रों की मैपिंग करा ली जाए, जिससे जरूरतमंदों को जल्द से जल्द मेडिकल सर्विसेस मुहैया कराई जा सकें. विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही एम्बुलेंस सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाया जाए, जिससे दुर्घटना क्षेत्रों में जरूरतमंद तक 30 मिनट से भी कम समय में एम्बुलेंस ऑटो मोड में पहुंच जाए.

मध्यप्रदेश में भीषण गर्मी और लू का कहर

- हीटवेव के बीच कई जिलों में रेड अलर्ट
- प्रदेश के 16 जिलों में तापमान 44 डिग्री तक

भोपाल, 21 मई. मध्यप्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है. राज्य के कई शहरों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और सूरज की तीखी तपिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. मौसम विभाग ने गुरुवार को पूरे प्रदेश में हीटवेव का अलर्ट जारी करते हुए सात जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट घोषित किया है. सबसे अधिक असर ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा जा रहा है.

खजुराहो प्रदेश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया, जहां तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. यह मई महीने में अब तक का सबसे अधिक तापमान माना जा रहा है. नौगांव में 46.6 डिग्री, दमोह में 46 डिग्री, मंडला में 45.6 डिग्री और सतना में 45.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. कई शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. प्रदेश के बड़े शहरों में जबलपुर 44.9 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा. वहीं ग्वालियर में 44.3 डिग्री, भोपाल में 42.6 डिग्री, उज्जैन में 42 डिग्री और इंदौर में 41.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. लगातार बढ़ती गर्मी ने दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा बढ़ा दिया है. मौसम विभाग ने भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री या उससे अधिक पहुंचने की संभावना है. इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, विदिशा, सागर, रीवा और अन्य जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट लागू किया गया है.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 23 मई तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा और इसके बाद नौतपा शुरू होने से तापमान और बढ़ सकता है. इससे पूरे प्रदेश में गर्म हवाओं का असर और तेज होगा.

विशेषज्ञों ने नागरिकों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. इस दौरान अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील की गई है. बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है.

हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष ओम जैन ने ग्रहण किया पदभार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 मई. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल यानी हाउसिंग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष ओम जैन ने पदभार ग्रहण किया.

इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि मंडल को एक अत्यंत अनुभवी और योग्य नेतृत्व प्राप्त हुआ है. अध्यक्ष जैन के दीर्घ प्रशासनिक अनुभव, विजन और कुशल मार्गदर्शन में मंडल के विकास कार्यों को एक नई गति और ऊंचाई मिलेगी. विजयवर्गीय ने मंडल के आगामी लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रदेश के बड़े महानगरों में बड़े प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन किया जाना है. हमारा मुख्य ध्येय मध्यम और निम्न-मध्यम श्रेणी के परिवारों के लिए सर्वसुविधायुक्त मकान निर्मित करना है. बड़े शहरों में मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए स्वयं का आशियाना बनाना मुश्किल कार्य हो गया है, इसलिए मंडल को पूरी शुचिता और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ कार्य करना होगा.

नवनियुक्त अध्यक्ष जैन ने मंत्री विजयवर्गीय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि उनका लंबा राजनैतिक-प्रशासनिक अनुभव हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा. जैन ने भावुक होते हुए कहा, वर्ष 1983 से जनसेवा में सक्रिय विजयवर्गीय की कार्यशैली, तन्मयता और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनुकरणीय है. हम उनके द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों और प्राथमिकताओं का अक्षरशः पालन करते हुए मंडल को विकास के नए प्रतिमानों पर ले जाएंगे. पदभार ग्रहण करने बाद अध्यक्ष जैन ने मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी कार्य-योजनाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

भोपाल मंडल की 4 ट्रेन प्रभावित

भोपाल, 21 मई. पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 पर फुट ओवर ब्रिज निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित ब्लॉक के कारण भोपाल मंडल से गुजरने वाली चार ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचने की अपील की है.

एक जून को बांद्रा टर्मिनस - गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस गोरखपुर कैंट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी. यह ट्रेन गोरखपुर कैंट और गोरखपुर स्टेशन के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी. वहीं 2 जून 2026 को चलने वाली गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस हमसफर एक्सप्रेस गोरखपुर कैंट स्टेशन से रात 9:40 बजे शॉर्ट ओरिजिनेट होगी और गोरखपुर से गोरखपुर कैंट के बीच नहीं चलेगी. इसके अलावा 29 मई से 7 जून 2026 तक चलने वाली अहमदाबाद - गोरखपुर एक्सप्रेस गोरखपुर कैंट स्टेशन पर ही समाप्त होगी. वहीं 30 मई से 8 जून 2026 तक गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस गोरखपुर कैंट स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी.

रेलवे ने कहा है कि निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

कलेक्टर के निर्देशन में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

देवसर वृत्त में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध और यूपी की मदिरा जप्त

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 21 मई। आबकारी की टीम ने देवसर वित्त के अलग-अलग स्थानों में छापामार कार्रवाई करते हुये 100 किलो महुआ लहान एवं 30 लीटर देशी-विदेशी अवैध शराब जप्त कर कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार आबकारी टीम ने विभिन्न ग्रामों के संदिग्ध ठिकानों, रिहायशी मकानों और दुकानों की सघन तलाशी ली। मौके से अवैध गतिविधियों में संलिप्त आरोपी प्रदीप कोरी निवासी छुईलहवा, लालू जायसवाल निवासी लमसराई, लहुरमनी प्रसाद वैश्य, समारू साकेत निवासी देवरा और पूजा राय निवासी गुलहरिया के पास से भारी मात्रा में अवैध मदिरा बरामद की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से कुल 100 किलोग्राम महुआ लाहन, 31 पाव देशी मदिरा प्लेन, 16 पाव देशी मदिरा मसाला, 32 नग केन और 9 बोतल बीयर जप्त की है। जप्त की गई कुल 30.31 बल्क लीटर अवैध मदिरा और सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 20,135 रुपये आंका गया है। सभी पांचों नामजद आरोपियों के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन 2000 की धारा 34 (1)(क)एवं (च) के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया है।

मोबाइल, टीवी छोड़ खेल के मैदान की ओर बच्चों के बढ़े कदम

- एनसीएल समर कैंप आरोहण का शानदार आगाज

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 21 मई। एनसीएल में समर कैंप आरोहण के 7वें संस्करण का शुभारंभ हुआ। यह समर कैंप एनसीएल मुख्यालय सहित सभी परियोजनाओं एवं इकाइयों में 21 मई से 10 जून तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे भाग ले रहे हैं।

आरोहण समर कैंप के दौरान योग्य प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को विभिन्न खेलकूद विधाओं, बैडमिंटन, टेबल-टेनिस, क्रिकेट, वालीबॉल, तैराकी, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, जूडो, कराटे, फुटबॉल, संगीत सहित अन्य में पारंगत किया जाएगा। इस वर्ष आरोहण समर कैंप के माध्यम से कुल 4,718 बच्चों और युवाओं को लाभ मिलेगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4: अधिक है। इनमें एनसीएल के 2,149 और गैर एनसीएल क्षेत्र के 2,569 बच्चे शामिल हैं। एनसीएल मुख्यालय में शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान महाप्रबंधक राजेश त्रिवेदी एनसीएल स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड मेंबर्स सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, मुख्यालय जेसीसी सदस्य तथा बड़ी संख्या में प्रतिभागी और उनके अभिभावकगण मौजूद रहे।

पुलिस में भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित

भोपाल, 21 मई. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने सूबेदार एवं उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 के लिए शारीरिक प्रवीणता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार की तिथियां घोषित कर दी हैं. 500 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 29 अप्रैल तक भोपाल, जबलपुर, सागर और सीधी सहित चार शहरों में आयोजित की गई थी. परीक्षा परिणाम 18 मई को मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए गए थे. लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 5 जून से 11 जून 2026 तक भोपाल के लाल परेड ग्राउंड, जहांगीराबाद तथा जबलपुर के 6वीं वाहिनी, एसएएफ, रांझी स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित होगी.

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला- सतना (म.प्र.)

क्रमांक/प्रवा./अपर कले./26 सतना दिनांक 05/05/2026

// सार्वजनिक सूचना //

विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जय प्रताप सतनामी पिता श्री रमेश सतनामी उम्र 22 वर्ष, (30.07.2004) स्थिति-अविवाहित व्यवसाय-प्राईवेट नौकरी, स्थायी निवासी-ग्राम बारीखुर्द पोस्ट-बाबूपुर थाना कोलगवां तहसील-रघुराजनगर अनुविभाग-रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.) पिन कोड 485112 एवं आवेदिका सोनम वर्मा पुत्री श्री सुंदर लाल वर्मा उम्र-20 वर्ष (20.03.2006) स्थिति-अविवाहित व्यवसाय-गृहणी स्थायी निवासी-ग्राम पवैया थाना-कोठी तहसील-कोठी अनुविभाग-रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.) पिन कोड 485666 के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अंतर्गत विशेष विवाह अनुष्ठापन हेतु आवेदन दिनांक 23/04/2026 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठापन के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 10/06/2026 को या इसके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 05/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अपर कलेक्टर
एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला-सतना (म.प्र.)

In The Court of II Civil Judge Class-I, Nagod, District Court, Satna
Presiding Officer : **श्री वैभव पटेल**
(आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
सक्सेशन प्रकरण क्रमांक
(MJC SUC/0000007/2025)

पवन कुशवाहा ..... **आवेदक**
Vs
कुसुममिया कुशवाहा ....**अनावेदक**
tid 77/26 Process Id-4/2026
पेशी दिनांक:-29.06.2026

प्रेषिती-
1. अन्य जिस किसी का इसमें संबंध हो पता- आम व खास जन जो मृतक कुसुममिया कुशवाहा पत्नी अमृतलाल कुशवाहा से संबंध रखता हो, पता-ग्राम पपरेगा, तह.उचेहरा, जिला सतना (म.प्र.), 2. आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक पवन कुशवाहा पता ने मृतक कुसुममिया कुशवाहा पत्नी अमृतलाल कुशवाहा निवासी ग्राम पपरेगा, तह. उचेहरा जिला सतना (म.प्र.) की मृतक के खाता क्र. 503366577939 में पी.एम.जीवन ज्योति बीमा योजना की राशि 2,00,000/- रु. एवं खाता में जमा राशि 16978/- रु. राशि/संपति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 29 जून 2026 को नियत है. यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 29 जून 2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें. सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा. यह आज तारीख 15 मई 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है.

(वैभव पटेल)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
नागौद जिला सतना (म.प्र.)

न्यायालय की मुद्रा

कृपया ध्यान दें-1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि तो न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा.

कार्यालय नगर पालिक निगम, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 1380/न.पा.नि./राजस्व/2026-27
रीवा, दिनांक 21.05.2026

अचल सम्पति नामान्तरण विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व नगर सुधार न्यास रीवा की योजना क्रमांक 8 नेहरु नगर रीवा जो नगर पालिक निगम रीवा के स्वामित्व में है, में स्थित भूखण्ड क्रमांक 2/10/135, क्षेत्रफल 1880.00 वर्गफिट श्री दिलीप कुमार पटेल पिता श्री शिवनाथ प्रसाद पटेल निवासी बासघाट रीवा को 30 वर्षीय लीज पर आवंटित है, उक्त भूखण्ड को श्री हीरालाल पटेल पिता श्री बल्देव प्रसाद पटेल निवासी ग्राम पोस्ट नौढिया जिला मऊगंज (म0प्र0) के नाम नामान्तरण किये जाने हेतु दिनांक 08.01.2026 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है. उक्त भूखण्ड क्रमांक 2/10/135, के नामान्तरण में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो, तो समाचार पत्रों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि तक कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा में प्रमाणित अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आवेदन/आपत्ति न तो ग्रहण की जावेगी और न ही मान्य की जावेगी. तत्पश्चात् आवेदक श्री दिलीप कुमार पटेल पिता श्री शिवनाथ प्रसाद पटेल निवासी बासघाट रीवा (म0प्र0) के आवेदन अनुसार भूखण्ड क्रमांक 2/10/135, का नामान्तरण श्री हीरालाल पटेल पिता श्री बल्देव प्रसाद पटेल निवासी ग्राम पोस्ट नौढिया जिला मऊगंज (म0प्र0) के नाम करने की कार्यवाही की जावेगी.

उपायुक्त (राजस्व)
नगर पालिक निगम
रीवा. (म.प्र.)

ओवरलोड ऑटो वाहनों पर पुलिस नही कर रही है कार्रवाई

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 21 मई। जिले में ओव्हर लोड ऑटो वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई करने से पुलिस एवं यातायात तथा आरटीओ सुस्त पड़ा हुआ है। जिसके चलते आये दिन हादसे भी हो रहे हैं, इसके बावजूद भी प्रशासन की नींद नही टूट रही हैं। जबकि धड़ल्ले के साथ सवारियों को ले जाया जा रहा है।

आलम यह है कि चितरंगी विकासखण्ड के दुधमनिया में यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भीषण गर्मी के बीच ऑटो चालकों द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को ओवरलोड भरकर ले जाया जा रहा है। हालत यह है कि ऑटो के अंदर क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जा रही हैं, कई यात्री पैरदान और पीछे लटककर सफर करने को मजबूर हैं। इनमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं, जो साफतौर पर बड़े हादसे को न्योता देता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कई ऑटो चालक 12 से 15 यात्रियों तक को बैठाकर तेज रफ्तार में वाहन चला रहे हैं। ऐसे में किसी भी समय बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। बावजूद इसके यातायात पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

ट्रक से पशु की तस्करी करते 11 भैंस बरामद

- चितरंगी थाना क्षेत्र के बैरदह तिराहा की कार्रवाई, ट्रक जप्त, आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 21 मई। चितरंगी पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 नग भैंस एवं पाड़ा बरामद कर एक ट्रक वाहन जप्त किया है। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार चितरंगी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक वाहन

क्रमांक एमपी 53 जीए 3288 में पशुओं को क्रुरता पूर्वक भरकर ले जाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने बैरदह तिराहे के पास घेराबंदी कर ट्रक को रोका। तलाशी के दौरान ट्रक के डाले में भैंस एवं पाड़ों के गर्दन और पैर नायलॉन की रस्सियों से बंधे मिले, जिससे वे उठ भी नहीं पा रहे थे। पूछतांछ में चालक ने बताया कि सभी पशुओं को उ.प्र. के ड्रामलगंज ले जाया जा रहा था। वाहन को जप्त कर पुलिस ने मामले में ट्रक चालक सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम ताजुद्दीन खान उम्र 20 वर्ष, अरबाज खान उम्र 20 वर्ष एवं अनवर खान उम्र 18 वर्ष सभी निवासी कोदौरा थाना अमिलिया जिला सीधी बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रुरता अधिनियम एवं म.प्र. पशु कृषक परीक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज की है। वहीं उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सुधेश तिवारी, उपनिरीक्षक रमेश प्रसाद साकेत, सतीष दीक्षित, आर अमलेश सिंह, मुकेश पाण्डेय एवं राजेश मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

In The Court of Principal Judge, Family Court, Satna
Presiding Officer : श्रीमती नोरिन निगम
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MJC GW/0000017/2025)

स्वीटी सोनी .....**आवेदिका**
Vs
सचिन सिंह .....**अनावेदक**
Process Id-192/2026 **पेशी दिनांक:-17.06.2026**

प्रेषिती- 1. सचिन सिंह तनय श्री राजबहादुर सिंह, पता ग्राम/पोस्ट चिल्ला वार्ड नं.7 तहसील त्योंथर, जिला रीव (म.प्र.)

यह कि आवेदिका स्वीटी सोनी, पता-मंदाकिनी विहार कालोनी सरस्तवी स्कूल के पास, तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.) ने आपके विरूद्ध आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 10 संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के लिये वाद संस्थित किया है. आपको इस न्यायालय में सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिय गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सकें. आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें. आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा. साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें यह आज तारीख 14 मई 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है.

Principal Judge
Family Court, Satna (M.P.)

न्यायालय की मुद्रा

कृपया ध्यान दें:- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा

कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/676/जि.शि.के.निर्माण/2026, सिंगरौली, दिनांक-21/5/26

निविदा सूचना

आनलाइन माध्यम से पूर्व प्रकाशित निम्नानुसार निविदा की सूचना सर्वसाधारण एवं इच्छुक निविदाकारों के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

क्र.	GeM Bid No.	कार्य का नाम	निविदा मूल्य	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि
1	GEM/2026/B/7420636	COMPLETE ELECTRIFICATION WORKS IN 28 SCHOOLS OF CHITRANGI BLOCK	82.45 Lakhs	05.06.2026

निविदा GeM Portal पर आनलाइन आमंत्रित की गई है। इच्छुक एवं पात्र निविदाकार निर्धारि अवधि में आनलाइन निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी GeM Portal पर उपलब्ध है।

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र, सिंगरौली

मुद्दा | तीन लाख से अधिक किसानों के नाम योजना से चुपचाप हटाने का आरोप लगाया पूर्व सीएम ने

भाजपा राज में किसानों के साथ छलावा हो रहा है : कमलनाथ

विशेष संवाददाता

भोपाल, 21 मई. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को भाजपा सरकार पर किसानों के साथ 'हर स्तर पर धोखा' करने का आरोप लगाया. उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या में आई कमी और शिवपुरी जिले में गेहूं खरीदी भुगतान में कथित साइबर धोखाधड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा.

कमलनाथ ने एक बयान में कहा कि पिछले एक वर्ष में प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से तीन लाख से अधिक किसानों के नाम चुपचाप हटा दिए गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एक ओर योजना का व्यापक प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी ओर वास्तविक लाभार्थियों की संख्या लगातार घट रही है.

उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2024-25 में योजना के तहत लगभग 86.49 लाख किसानों को लाभ मिला था, लेकिन वर्ष 2025-26 में यह संख्या घटकर करीब 83.01 लाख

रह गई. उन्होंने कहा कि तीन लाख से अधिक किसानों को बिना पारदर्शिता के योजना से बाहर कर दिया गया है.

कमलनाथ ने यह भी कहा कि 80 हजार से अधिक किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया अब तक लंबित है, जबकि करीब 1.87 लाख किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं होने के कारण पात्र किसानों को किस्त का भुगतान नहीं मिल पा रहा है.

उन्होंने सरकार से मांग की कि पात्र किसानों को लंबित राशि तत्काल जारी की जाए और अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाओं के माध्यम से किसानों को परेशान करना बंद किया जाए.

शिवपुरी जिले में गेहूं खरीदी भुगतान में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए कमलनाथ ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचे गए गेहूं का भुगतान किसानों के खातों में पहुंचने के बजाय संदिग्ध बैंक खातों में पहुंचने की खबरें बेहद गंभीर हैं. उन्होंने इसे साइबर धोखाधड़ी का मामला बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच तथा प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की.

नीलामी सूचना

जिला मजिस्ट्रेट सतना म.प्र के प्रकरण क्रमांक 0090/अ 74/2025-26 के आदेशानुसार अध्यक्ष, रामजानकी मंदिर ट्रस्ट छोटा स्थान, सोहावल की ओर से समस्त कृषकों एवं इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि के ठेके हेतु खुली नीलामी आज से 15 दिवस उपरांत दिनांक 06 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। नीलामी का आयोजन मंदिर प्रांगण, रामजानकी मंदिर ट्रस्ट छोटा स्थान, सोहावल में किया जाएगा। इच्छुक कृषक निर्धारित समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। उक्त नीलामी प्रक्रिया में ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण की उपस्थिति अपेक्षित है। नीलामी का समय : प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक

विशेष शर्तें :- 1. भूमि का उपयोग केवल कृषि कार्य, फसल बोने एवं काटने हेतु किया जाएगा।, 2. भूमि पर किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित फसल बोना पूर्णतः वर्जित रहेगा।, 3. ट्रस्ट के नियम एवं शर्तें सभी प्रतिभागियों पर बाध्यकारी होंगी।, 4. नीलामी ट्रस्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर ही आवंटित की जायेगी, जो कि निविदाकार/बोलीदाता को मान्य होगी।,